न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल,म.प्र. ग्वालियर

III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा/2017/2209

प्र0क्र0 - /2017 निगरानी

प्रेमनारायण पुत्र दीनाराम तिवारी
जाति ब्राहमण ग्राम रतवास
तहसील पिपरई, जिला अशोकनगर

श्री जी.पी. नायक एड. द्वारा आज दि. 14.7.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 14-7-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

----आवेदक

विरूद्ध

1- बुन्देल सिंह पुत्र हरनाम सिंह
जाति यादव ठाकुर ग्राम रतवास
तहसील पिपरई जिला अशोकनगर

2- म0प्र0शासन व्दारा राजस्व निरीक्षक वृत्त-2
तहसील पिपरई जिला अशोकनगर

----अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 - राजस्व निरीक्षक, वृत्त-2 पिपरई व्दारा प्र0क्र0 7 अ-12/2016-17 में किये गये सीमांकन दिनांक 24-6-17 के विरुद्ध, जिसमें पारित अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान नहीं की गई है।)

महोदय,

यह कि ग्राम रतवास में अनावेदक कमांक 1 के स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 269/3 क रकबा 0.200 है., सर्वे कमांक 269/3ख रकबा 0.836 हैक्टर से आवेदक के स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 266, 268,272,274,283 लगी हुई जिनके बीच पुरखों के जमाने से मेढ़ बनी हुई है। अनावेदक कमांक 1 व्दारा सीमांकन कराने का आवेदन तहसील पिपरई में दिया गया, जिस पर से दिनांक 20-6-17 सीमांकन करने की तिथि नियत की गई, किन्तु 20-6-17 को सीमांकन न करते हुये तथा ग्रामवासियों एंव मेढ़िया कास्तकारों को सूचना दिये बिना राजस्व निरीक्षक वृत्त-2 एंव हलका पटवारी ने अनावेदक क्रमांक-1 की भूमि का सीमांकन दिनांक 24-6-17 को कर दिया एंव आवेदक की भूमि में से गलत तरीके से जरीव डालकर भूमि नापकर अनावेदक कमांक -1 को कब्जा सौंपने का फर्जी पंचनामा तैयार कर दिया। जिसकी सूचना आवेदकगण को प्रदान नहीं की गई।

(3)

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश, ग्वालियर

III/निग./अशोकनगर/भू.रा./2017/2209.
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **जिला–अशोकनगर**

स्थान तथा दिनांक	प्रेमनारायण कार्यवाही तथा आदेश बुन्देल सिंह	पक्षकारों एवं अभिभाषक अदि के हस्ताक्षर
12-01-2018	आवेदक की ओर से श्री जी0पी0 नायक, अभि.उप. । उन्हें प्रकरण की ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया । 2— प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमों में अंकित किए गये हैं जिन्हें यहां दुहराया नहीं जा रहा है किन्तु उन पर विचार किया गया । निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एवं अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में आक्षेपित अभिलेख दिनांक 24.6.17 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि सीमांकन के दौरान आवेदक मौके पर पहुंचे थे और यह कहते हुऐ सीमांकन सीमांकन स्थल से चले गये कि मेरे घर पर शौचालय का कार्य चल रहा है। आवेदक का यह व्यवहार उचित नहीं था। आवेदक को सीमांकन स्थल पर सम्पूर्ण सीमांकन कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहना चाहिए था और किसी प्रकार की सीमांकन के दौरान.त्रुटिपूर्ण कार्यवाही यदि की जाती तो मौके पर ही आपत्ति दर्ज करायी जाना चाहिए थी, इस प्रकार आवेदक द्वारा सीमांकन की जानकारी होने के बाद भी उपस्थित न रह कर जानबूझ कर सीमांकन स्थल से अनुपस्थित रह कार्य में असहयोग किया गया है । अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रकरण में ग्राहयता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण अग्राह्य किया जाता है तथा इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर	